भारत निर्वाचन आयोग

प्रादर्श चेक लिस्ट

पीठासीन अधिकारियों हेतु

2013

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली—110001

लोक सभा/विधान सभा चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों हेतु चुनाव संहिता संबंधी प्रादर्श चेक लिस्ट

सूची

क्रम सं. (1)	विषय (2)	पृष्ठ क्र. (3)
1.	पदस्थापना / नियुक्ति होने पर	1
2.	मतदान दल का प्रशिक्षण	2
3.	मतदान से एक दिन पूर्व	2
4.	मतदान के दिन मतदान केन्द्र पहुंचने पर	5
5.	मतदान के दौरान	8
6.	मतदान के पश्चात्	10
7.	उपाबंध–1	12
8.	उपाबंध–2	19

पीठासीन अधिकारी

1. नियुक्ति होने पर :—

1.1 चुनाव ड्यूटी संबंधी नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

1.2 निम्नलिखित पुस्तिकाओं एवं पेम्पलेट्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

(क) पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन निर्देशिका।

(ग) पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखे पत्र जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश हैं।

1.3 संबंधित चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में अनुक्रमांक सुनिश्चित करें।

1.4 वोटिंग मशीन के संचालन से पूर्णतः अवगत हों, मशीन को संचालित करने का प्रशिक्षण अतिआवश्यक है।

1.5 मतदान-दल के गठन के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने पर चुनाव दल के अन्य सदस्यों से परिचय तथा घनिष्टता बनाएं तथा दल के अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर आरक्षित दल से विकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

1.6 पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दिए गए विभिन्न सांविधिक (Statutory) एवं असांविधिक (Non-statutory) पत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

1.7 ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण लें। प्रपत्रों, लिफाफों एवं कार्यप्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की शंका हो तो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से समाधान करें।

1.8 उचित समय पर डाक मतपत्र/ई. डी. सी. के लिए आवेदन करें।

1.9 प्रशिक्षण के समय निर्धारित क्षेत्रों के ''ड्राप बाक्स'' में डाक-मतपत्र को डालें।

1.10 निर्वाचन-क्षेत्र, मतदान केन्द्र का नाम तथा संख्या एवं उसकी स्थिति की जांच हेतु, नियुक्ति-पत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें।

1.11 अपने मतदान केन्द्र के मतदान-अधिकारियों का नाम, पता करें, जो मतदान दल के सदस्य हैं यदि कोई अनुपस्थित हो तो आरक्षित मतदान अधिकारियों में से किसी अन्य की नियुक्ति सुनिश्चित करें। उस मतदान केन्द्र के मतदान दल के सदस्यों से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन में दक्षता के लिए अंतिम समय तक आयोजित प्रशिक्षणों में सम्मिलित हों।

1.12 निर्दिष्ट वाहन से पूर्व निर्धारित मार्ग एवं चेकपोस्ट होकर मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने हेतु आवश्यक निर्देश और सहायता के लिए जोनल अधिकारी से संपर्क करें।

2. मतदान-दल का प्रशिक्षण :

2.1 पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी से ''पीठासीन अधिकारी पुस्तिका'' एवं ''ईवीएम निर्देशिका'' की नवीनतम प्रतियाँ प्राप्त कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

2.2 पीठासीन अधिकारी मतदान-दल का मुखिया होता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान-दल के सभी सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं उसके संचालन में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं।

3. मतदान से एक दिन पूर्व :

3.1 मतदान-दल के प्रस्थान वाले दिन, मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली मतदान संबंधी सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि—

(क) आपको दी गई कंट्रोल यूनिट एवं बैलट यूनिट, आपके मतदान केन्द्र हेतु ही है। धातु-पट्टीका एवं एडहैंसिव स्ट्रिप पर अंकित मशीन की संख्या का मिलान कर जांच करें, तथा मशीन लेने से पहले स्टीकर पर अंकित पी. एस. संख्या, तथा ऐड्रेस टैग में वर्णित संख्या की जांच एवं मिलान कर लें। किसी भी प्रकार की अनियमितता हो तो वितरण अधिकारी के ध्यान में लाएं एवं उसका निराकरण करें।

(ख) कंट्रोल यूनिट का ''कैंड सेट सेक्शन'' मुहरबंद है और उसके साथ ऐड्रेस टैग मजबूती से जुड़ा हुआ है।

(ग) कंट्रोल यूनिट की बैटरी पूर्णतः क्रियाशील होती है। कंट्रोल यूनिट की जांच करने के बाद बैटरी को बंद करना याद रखें।

(घ) बैलट यूनिटों को सीलबंद कर एड्रैस टैगों को ऊपरी एवं नीचे के दाएं हिस्से के साथ मजबूती से जोड़ दिया गया है।

(ङ) प्रत्येक बैलट यूनिट पर सही बैलट-पेपर को उचित स्थिति में स्क्रीन के नीचे लगाया गया हो।

(च) बैलट-यूनिट के 'स्लाइड स्विच' को सही स्थिति में सेट किया गया हो।

(छ) पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका के उपाबंध-1 में वर्णित मतदान संबंधी समस्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हो।

(ज) पेपर सीलों की क्रम संख्या की जांच करें।

(झ) मतदाता सूची की जांच कर सुनिश्चित करें कि :—

(i) अनुपूरकों की सभी प्रतियां दी गई हैं,

(ii) सूची की भाग संख्या एवं अनुपूरक सही दिये गये हैं,

(iii) मतदाता-सूची की प्रति में पृष्ठों की संख्या क्रमानुसार हैं,

(iv) मतदाताओं की छपी हुई क्रम संख्या को सुधारा नहीं गया है, ना ही उनके स्थान पर नई क्रम संख्या दर्शाई गई है,

(v) अनुपूरकों के अनुसार, नामों के सारे विलोपन, लिपिकीय त्रुटियों एवं अन्य त्रुटियों का सुधार, सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

(vi) उसी निर्वाचन क्षेत्र के निविदत्त मतपत्र दिये गये हैं, उनके सरल क्रमांक का मिलान कर लें।

(vii) चुनाव प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के नमूना हस्ताक्षर की फोटो कॉपियां हैं। इससे मतदान केन्द्र में प्रतिनिधियों के नियुक्ति-पत्र पर, प्रत्याशी के हस्ताक्षर की वैधता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी,

(viii) अन्य महत्वपूर्ण चुनाव सामग्री जैसे डमी कार्ड बोर्ड इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) स्टैंप पैड, हरी पेपर सील, स्ट्रिप सील, सांविधिक प्रपत्र, मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र 17क), फार्म (17ग) आदि हैं।

(ण) आपको दी गई चुनाव अभ्यर्थियों की सूची की प्रति की जांच करें। अभ्यर्थियों के नाम, उनको दिये गये चुनाव चिन्हों से मेल खाएं तथा उसी क्रम में हों जैसा कि बैलट यूनिट पर मतपत्र में दर्शाये गए हैं।

(ट) यह जांच लें कि आपकों दी गई अमिट स्याही की मात्रा पर्याप्त है तथा उसका ढक्कन पूर्णतः बंद हो, यदि ऐसा नहीं है तो उसे मोम या मोमबत्ती की सहायता से पुनः बंद करें।

(ठ) घुमते तीरों के निशान वाली रबर सील तथा पीतल की सील को जांच लें। यह सुनिश्चित करें, कि घूमते तीरों वाली रबर सील के दोनों सिरों पर सील लगी है और स्टाम्प पैड सूखा नहीं है। यदि आपका मतदान केन्द्र अस्थायी रूप से निर्मित हो तो मतदान संबंधी कागजों को रखने के लिये एक बड़ा लोहे का बक्सा प्राप्त करें।

(ड) यदि मतदान केन्द्र तक पहुंचने में आवागमन एवं मार्ग संबंधी संदेह हो तो उसका समाधान कर, प्रस्थान का स्थान, समय तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें।

(ढ) यदि आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा है तो एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मतदाता सामग्री लेते समय, उक्त अधिकारी को साथ लेना न भूलें।

3.2 (क) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित दिन आप अपने मतदान केन्द्र पहुंचे तथा सुनिश्चित करें :—

(i) कि वहां मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र के बाहर इंतजार करने हेतु पर्याप्त स्थान है तथा पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग कतार के लिये पर्याप्त स्थान है।

(ii) मतदाताओं के प्रवेश एवं निर्गम हेतु अलग-अलग रास्ते/मार्ग हैं। **इपिक**—(1) महिला, (2) पुरुष। **नाम इपिक**—(1) महिला, (2) पुरुष।

(iii) मतदाताओं के लिये मतदान हेतु बनाए मतदान प्रकोष्ठ में पर्याप्त रौशनी है। प्रकोष्ठ गत्ते का 21×21''×21'' का बना हो।

(iv) मतदान क्षेत्र एवं मतदाताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दर्शाने वाली सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है।

(v) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।

(ख) यदि मतदाताओं में महिलाएं ज्यादा संख्या में हों, तो महिला सहायक की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में जारी आदेश की उपलब्धता की जांच कर उसे प्राप्त करें। महिला सहायक की सेवाएं महिला मतदाताओं की पहचान करने हेतु लें। यदि आपके मतदान केन्द्र में नियुक्त कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो, तो आप किसी अन्य ऐसे मतदान अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। उचित रूप से, महिला सहायक की नियुक्ति के साथ-साथ इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी / आर.ओ. को दें।

(ग) बेलट यूनिट (BU) एवं कंट्रोल यूनिट (CU) को रखने, अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के बैठने, मतदान अधिकारियों के बैठने तथा स्वयं के बैठने का स्थान निर्धारित कर लें।

(घ) मतदान केन्द्र में टांगे गये / चिपकाए गए, किसी भी राजनैतिक दल के किसी भी नेता की तस्वीर / फोटो को निकाल दें या पूर्णतया ढक दें। कुछ लिखा हो उसे विलोपित कर दें।

3.3 वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री जो आपको सौंपी गई है वो आपके संरक्षण में ही होनी चाहिए जब तक मतदान समाप्त न हो जाए, तथा मशीन तथा सामग्री आपके द्वारा ही वापस सौंपी जाएगी। आपके मतदान केन्द्र पहुंचने के क्षण से ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी ही मतदान केन्द्र में उपस्थित रहकर वोटिंग मशीन वा अन्य चुनाव सामग्री के लिये जिम्मेदार या प्रभारी रहेंगे। वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री को मतदान केन्द्र में तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति के संरक्षण में न छोड़े। मशीन तथा चुनाव सामग्री सिर्फ आपके या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी की अभिरक्षा में हो।

3.4 यदि आप ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी हैं जो ऐसे भवन में है जहां दो मतदान प्रकोष्ठ हैं, तब आपको आपके केन्द्र के मतदाताओं के नाम की वर्णक्रमानुसार सूची प्रदाय की जाएगी।

3.5 आपको अनुपस्थित / गुमशुदा मतदाताओं की सूची, संचार योजना एवं (Valuerable) संवेदनशील मतदान केन्द्र / टोले, मजरों की सूची भी प्रदाय की जाएगी।

3.6 मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर यह सुनिश्चित करें कि मतदान क्षेत्र तथा मतदाताओं की संख्या तथा अभ्यर्थियों की सूची वाली सूचना प्रदर्शित की गई है।

3.7 मतदाताओं की पहचान की सुविधा हेतु आपको संदर्भित छायाचित्र (Reverral Image Sheet) की प्रति भी आपको प्रदाय की जाएगी।

4. **मतदान के दिन मतदान केन्द्र पहुंचने पर :**

4.1 पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पहुंचने पर 200 मीटर के अंतर्गत आने वाले आसपास के क्षेत्रों की जानकारी लेना चाहिए एवं उनका भ्रमण करना चाहिए।

4.1.1 यदि आपके दल का कोई सदस्य नहीं पहुंचा हो तो उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था करें।

4.1.2 मतदान के आधा घंटे पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग मशीन की तैयारी के साथ-साथ दिखावटी मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराएं। यदि दो या अधिक मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हैं तो दस मिनट तक प्रतीक्षा करें।

4.1.3 दिखावटी मतदान सम्पन्न होने के बाद, वोटिंग मशीन (बेलट यूनिट) से दिखावटी मतदान के आंकड़ों को हटाकर, कंट्रोल यूनिट की सीलिंग करें।

4.1.4 हरी पेपर सील लगाकर कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को बंद कर मुहरबंद करें।

4.1.5 अमिट स्याही की शीशी को बंद कर इस प्रकार रखें कि वह बाहर न गिरे।

4.1.6 मतदान प्रकोष्ठ में टेबल पर बैलट यूनिट को रखें। मतदान प्रकोष्ठ उस मेज से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए वहाँ पर कंट्रोल यूनिट रखा जाएगा.

4.1.7 बैलट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने वाली केबल की लंबाई 5 मी. होती है उसे इस तरह से व्यवस्थित करें कि मतदान केन्द्र के अन्दर मतदाताओं का आवागमन उससे बाधित न हो।

4.1.8 जोड़ने वाली केबल को मतदान प्रकोष्ठ के निचले या पिछले हिस्से में किये गये छेद से निकालकर बाहर लाया जाए। लेकिन ये छेद इतना बड़ा न हो जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो।

4.1.9 मतदान प्रकोष्ठ में मशीन रखते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी केबल, अबाधित रहे। मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिये मतदान प्रकोष्ठ को मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के पास न रखा जाए।

4.2 पीठासीन अधिकारी, मतदान केन्द्र की सुरक्षा हेतु उस क्षेत्र में केन्द्रीय पुलिस बल / राज्य पुलिस अधिकारी / होम गार्ड की नियुक्ति की जांच करें।

4.2.1 मतदाताओं के प्रवेश तथा निर्गम हेतु अलग-अलग व्यवस्था हो। यदि किसी मतदान केन्द्र के कमरे में एक ही दरवाजा हो तो मतदाता के प्रवेश तथा निर्गम के लिए दरवाजे के बीच में बांस या रस्सी की सहायता से यह व्यवस्था की जाए।

4.2.2 मतदान अधिकारियों और अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था इस प्रकार हो कि वह मतदाता को किसी विशेष बटन को दबाते हुए मतदान करते न देख सकें, न ही बैलट यूनिट को देख सकें।

4.2.3 मतदान केन्द्र पर प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए.

4.2.4 मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं के लिये पर्याप्त स्थान हो जहां वे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकें।

4.2.5 यदि संभव हो तो महिला एवं पुरुष मतदाताओं को मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा हेतु अलग-अलग स्थान दिया जाए।

4.2.6 मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि वे केन्द्र में आने वाले मतदाता का चेहरा, तथा प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान को सत्यापित करते हुए देख सके; ताकि आवश्यकता होने पर वह मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकें। वे पीठासीन अधिकारी तथा तीसरे मतदान अधिकारी की उन टेबलों पर होने वाली समस्त गतिविधियों को देख सकें जहां कंट्रोल यूनिट रखा है तथा व मतदाता को आगमन से निर्गम को भी देख सके।

4.2.7 यदि मतदान केन्द्र पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो उनकी पहचान तथा अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया का विशेष प्रबंध एक अलग-अलग प्रभाग में किया जाए जहां उनकी अस्मिता, निजता एवं सम्मान को चोट न पहुंचे। उनके पहचान प्रक्रिया में सहायता हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिलाओं की नियुक्ति कर सकते हैं।

4.2.8 यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्रानुसार, मतदाताओं को अलग-अलग करने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना चाहिए तथा यह भी कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने मतदाताओं के लिये अलग-अलग स्थान उपलब्ध है जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न हो।

4.2.9 पीठासीन अधिकरी को यह जानना आवश्यक है कि मतदान केन्द्र तथा उसके चारों ओर के 200 मीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र उसके नियंत्रण में है।

4.3 राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार संबंधी पोस्टरों को हटाना सुनिश्चित करना।

4.3.1 मतदान से पूर्व, किसी भी राजनैतिक दल के चुनाव चिन्ह, राजनेताओं की तस्वीरें, या चुनाव संबंधी लिखे गए नारें इत्यादि प्रदर्शित नहीं होने चाहिये, और यदि ये पाए जाएं तो उन्हें तुरन्त हटा दिया जाए।

4.3.2 मतदान केन्द्र के अन्दर खाना पकाने या किसी अन्य कारण से आग जलाने की अनुमति न दी जाए।

4.3.3 प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर मतदान क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी एवं मतदाताओं की विशिष्ट जानकारी की सूचना तथा प्ररुप 7-क में चुनाव अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति प्रदर्शित की जान चाहिए.

4.3.4 जहां कहीं संभव हो प्ररुप 7-क में प्रत्येक अभ्यर्थी के चुनाव चिन्हों की समरूप प्रति भी प्रदर्शित की जाए.

4.3.5 भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसाार मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम निम्नलिखित प्राथमिकताओं की श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा :—

(1) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता,

(2) राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता,

(3) अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल के उन अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिन्हें उस चुनाव क्षेत्र में आरक्षित चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो,

(4) पंजीकृत अमान्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता,

(5) निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता,

4.4 पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर आने वाले क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता के लिये नहीं बैठने दें। पीठासीन अधिकारी उस परिधि में लगे तंबू तथा कुर्सियों को हटवा दें।

4.5 मतदान केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार के शस्त्रों को न लाने दें।

4.6 यदि मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त करके जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करें।

4.7 आप तथा आपके दल के अन्य सदस्य मतदान शुरु होने के 75 मिनट पूर्व, मतदान केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। पहुंचते ही वोटिंग मशीन तथा मतदान सामग्री की जांच कर लें.

4.8 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति-पत्रों की जांच करें और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को समझाएं। उन्हें बैठने का स्थान उपलब्ध कराएं तथा उन्हें आने जाने हेतु प्रवेश-पास जारी करें। अध्याय 16 में उल्लेखित घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाएं।

4.9 यह सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान केन्द्र पर नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं के नाम, आपके मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) है।

5. **मतदान के दौरान :**

5.1 यह सुनिश्चित करें कि मतदान ठीक निर्धारित समय पर शुरू हो जाए। यदि सारी औपचारिकताएं पूरी न हों तब भी मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर निर्धारित समय पर प्रवेश करने दें।

5.1.1 आयोग द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार ही भ्रमण प्रपत्र (विजिट शीट) भरें।

5.1.2 यह संभव है कि मतदान के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों जिनके कारण आपको नई वोटिंग मशीन का उपयोग करने की बाध्यता हो, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की सुनिश्चितता हेतु पुनः गोपनीयता की घोषणा पढ़ने की आवश्यकता होगी।

5.1.3 मतदान अधिकारी द्वारा अमिट स्याही का उचित उपयोग किया जा रहा है, सुनिश्चित करना चाहिए।

5.1.4 मतदान अधिकारियों के कर्तव्य पालन को निम्नानुसार सुनिचित करना चाहिए—

मतदाता की पहचान तथा मतदाता सूची में उसके नाम को मतदाता परिचय-पत्र की सहायता से या अन्य कागजातों की सहायता से (जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये हों) खोजना/ढूंढना।

5.1.5 सांख्यिकीय प्रारुप PS 05 को भरने के उद्देश्य से, निर्वाचक नामावली में उचित रूप से चिन्हांकन।

5.1.6 मतदाता रजिस्टर में उचित प्रविष्टियाँ करें अर्थात् रजिस्टर 17-क को उचित रूप से भरें और उसके बाद मतदाता पर्ची जारी करें।

5.1.7 यह सुनिश्चित करें कि अमिट स्याही लगाने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका हो ताकि जब मतदाता, मतदान केन्द्र से बाहर जाए तब तक स्याही का निशान सूख चुका हो।

5.1.8 पीठासीन अधिकारी को सचेत एवं जागरूक रहकर मतदाताओं की गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखनी होगी ताकि कोई भी मतदाता मतदान किये बगैर न जाए।

5.1.9 मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय पर, कतारबद्ध मतदाताओं तथा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर आ चुके मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा क्रम पर्ची जारी कर उनसे मतदान कराया जाएगा।

5.2 जब मतदान प्रक्रिया चल रही हो तब असाधारण जटिल प्रकरण उभर कर आ सकते हैं। आप स्वयं इनसे निपटें, मतदान अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन करने दें। ऐसे प्रकरण इस प्रकार हो सकते हैं :—

(क) किसी मतदाता को चुनौती (अध्याय 18),

(ख) अवयस्क द्वारा मतदान (अध्याय 18),

(ग) दृष्टिहीन अथवा विकलांग मतदाता द्वारा मतदान (अध्याय 22),

(घ) मतदाताओं द्वारा मतदान से इंकार (अध्याय 23),

(ङ) निविदत्त मत (अध्याय 27),

(च) मतदान की गोपनीयता भंग होना (अध्याय 21),

(छ) मतदान केन्द्र पर अशोभनीय व्यवहार तथा अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का हटाया जाना (अध्याय 17),

(ज) दंगों या अन्य कारणों से मतदान स्थगन (अध्याय 28)।

5.2.1 पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया के चलते, आने वाले असाधारण जटिल प्रकरणों से निपटना सुनिश्चित करेंगे, ये प्रकरण हो सकते हैं :—

★ मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता को चुनौती दिया जाना

★ अवयस्क द्वारा मतदान किया जाना

★ दृष्टिहीन या विकलांग द्वारा मतदान करना

★ मतदाताओं द्वारा मतदान न करने का निर्णय लेगा

★ निविदत्त मतों का होना

★ मतदान की गोपनीयता भंग होना

★ मतदान केन्द्र पर अनुचित व्यवहार तथा ऐसा व्यवहार करने वालों को हटाया जाना

★ दंगों या अन्य कारणों से मतदान का स्थगित होना।

5.2.2 पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाताओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त अधिकारियों के अलावा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतदान केन्द्र में प्रवेश न करने पाए।

5.2.3 पीठीसीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता, मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आए। मतदान दल के अधिकारियों के भी मोबाइल फोन मतदान केन्द्र के अन्दर "बन्द" करके रखे जाएं।

5.3 अपने प्रथम मतदान अधिकारी को निर्देशित करें कि वह ऐसे मतदाताओं की उचित पहचान सुनिश्चित करें जिनके नाम ए. एस. डी. (Absent, Shifted, Duplicate) सूची में शामिल हों।

5.4 विडियो कैमरा सुपरवाईजर को मतदाताओं के फोटो उसी क्रम में लेने के लिए निर्देशित करें जिस क्रम में रजिस्टर प्ररुप 17-क में दर्ज है।

5.5 आप मतदान प्रकोष्ठ के अंदर न जाएं, यदि अपरिहार्य परिस्थिति में आप को जाना ही पड़े, तो मतदान अभिकर्ता को साथ लेकर जाएं।

5.6 हर दो घंटे के मतदान से संबंधित डायरी के मद 18 में प्रविष्टि हेतु सांख्यिकी जानकारी एकत्र करें।

5.7 यदि मतदान देर से भी प्रारंभ हुआ हो, पर मतदान समाप्ति निर्धारित समय पर ही करें। इस समय कतार में लगे मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियां दें। निर्धारित समय के पश्चात् कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति कतार में न लगे इस बात को सुनिश्चित करें।

5.8 महिला और पुरुष मतदाताओं के लिये अलग-अलग कतार बनवायें। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्राथमिकता दें।

5.9 यदि कोई मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा मतदान करने की विधि जानना चाहता है तो उसे मौखिक रूप से कार्डबोर्ड ई.वी.एम. यूनिट पर समझायें।

6. मतदान के पश्चात्

6.1 अध्याय 29 एवं 31 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदान मशीन बन्द कर उसकी सीलिंग करें। मशीन को मुहरबंद (सील) करने से पहले कन्ट्रोल यूनिट की बैटरी बन्द करना याद रखें।

6.2 जिन महिला मतदाताओं ने मतदान किया है उनकी संख्या सुनिश्चित करें।

6.3 प्ररुप 17ग को पूरा भरें (दर्ज किये गए मतों का लेखा तथा पत्र मुद्रा लेखा) मतदान समाप्त होने पर प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररुप 17ग की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें तथा अध्याय 30 में उद्घृत घोषणा-पत्र पर पावती प्राप्त करें। घोषणा-पत्र को पूर्णरूप से भरें। यदि इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दर्शायी मतदाता संख्या मतदाता रजिस्टर में अंकित संख्या से भिन्न है तो सेक्टर/जोनल ऑफिसर तथा रिटर्निंग आफिसर (आर.ओ.) को उसकी सूचना आवश्यक रूप से दें।

6.4 अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी को पूरा करें। समस्त जानकारियाँ भरी जाना चाहिये। यदि मतदान केन्द्र पर कोई घटना घटित होती है, तो उसका विवरण डायरी में लिखें पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दिये गये प्रपत्र 15 को भरें जो अतिरिक्त रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा आबॅज़र्वर को प्रेषित किया जाना है।

6.5 अध्याय 32 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदान सम्बन्धी सभी कागजों को मुहरबन्द करें।

6.6 पांच संविधिक लिफाफों का पहला बंडल/पैकेट तैयार करें।

6.7 ग्यारह असंविधिक लिफाफों का दूसरा बंडल तैयार करें।

6.8 सात वस्तुओं का तीसरा बंडल तैयार करें।

6.9 सभी अन्य वस्तुओं के लिये चौथा बंडल तैयार करें।

6.10 मोहरबन्द वोटिंग मशीन तथा मतदान सामग्री के मुहरबन्द बंडलों को संग्रह केन्द्र (कलेक्शन सेन्टर) पर जमा करने के लिये मतदान केन्द्र से वापसी के कार्यक्रम का पालन करें। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप वोटिंग मशीन और चुनाव सामग्री सम्बन्धी सभी बंडल संग्रह केन्द्र पर जमा करें और उसकी पावती प्राप्त करें। ध्यान रहे कि आपको विभिन्न प्रकार के आठ सामान जमा करना है। अर्थात्

1. वोटिंग मशीन।
2. दर्ज किये गये मतों के लेखे तथा पत्र मुद्रा लेखे वाला लिफाफा।
3. पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं वाला लिफाफा।
4. पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला लिफाफा।
5. 'विजिट शीट' वाला लिफाफा।
6. पांच लिफाफों वाला पहला पैकेट/बंडल जिस पर 'संविधिक लिफाफे' (Statutory cover) लिखा हो।
7. ग्यारह लिफाफों वाला दूसरा पैकेट/बंडल जिस पर 'असंविधिक लिफाफे' (Non-statutory covers) लिखा हो।
8. मतदान सामग्री सम्बन्धी सात वस्तुओं वाला तीसरा बंडल/पैकेट।
9. अन्य सभी वस्तुएं (चुनाव सामग्री), यदि कोई हो, उसका चौथा बंडल/पैकेट।

6.11 मतदान सामग्री लौटाते समय, रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी की डायरी, दर्ज किये गए मतों का लेखा प्ररुप 17ग, मतदाता रजिस्टर 17क अलग से सम्बन्धित अधिकारी को सौंपे जायें। यह भी सुनिश्चित करें कि यह प्रपत्र गलत लिफाफे में मुहरबन्द न किये जायें।

6.12 समस्त सामग्री सौंपने के बाद आपको रिटर्निंग ऑफिसर से औपचारिक रूप से कार्यमुक्ति का आदेश मिलता है।

6.13 उन मतदाताओं की जानकारी तैयार करे जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ई.पी.आई.सी.) द्वारा मतदान किया है तथा ऐसे मतदाता जो अनुपस्थित मतदाताओं को उपलब्ध करायी गई सूची में सूचीबद्ध थे।

6.14 पीठासीन अधिकारी पुस्तिका के परिशिष्ट-1, 2 को देखें—मतदान केन्द्र पर मतदान सामग्री की सूची एवं चैक मेमो।

उपाबंध 1

पीठासीन अधिकारियों के लिए चैकलिस्ट

किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन को उपयोग में लाया जाना है

1.	नियंत्रण यूनिट	1
2.	मतदान यूनिट	1 अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर
3.	मतदाता रजिस्टर (17क पत्रक)	1 पुस्तक
4.	मतदाता पर्चियां	1600 (मतदान केन्द्र की मतदातानुसार)
5.	निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियाँ	3
6.	CSV अगर हो तो (वर्गीकृत सेवा मतदाता सूची)	3
7.	मत–पत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
8.	अमिट स्याही	2 (10 सी. सी.) की
9.	एड्रेस टैग नियंत्रण यूनिट के लिए	4
10.	एड्रेस टैग बैलेट यूनिट के लिए	4
11.	स्पेशल टैग	3
12.	EVM के लिए ग्रीन पेपर सील	4
13.	स्ट्रिप सील	3

14.	एरोक्रास मार्क रबर स्टेम्प	1
15.	बैंगनी रंग का स्टाम्प पेड	1
16.	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मुहर	1
17.	माचिस	1
18.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
19.	सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर स्टैम्प	1
20.	कार्ड बोर्ड (दिखावटी) बैलेट यूनिट	1 (नमूना)
21.	मतदान दल के सभी सदस्यों के I. D. कार्डस्	

22. फार्म :

1.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
2.	चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप 14)	1
3.	अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथियों की सूची के लिए प्ररूप (14क)।	1
4.	निविदत्त मतों की सूची के लिए प्ररूप (प्ररूप 17 ख)	2
5.	रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (प्ररूप-17ग)	10 (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संख्या अनुसार)
6.	उपयोग में लाए गए पेपरसील का रिकार्ड	1
7.	चुनौती दिये गए मतपत्रों की रसीद बुक	1

8.	थाना प्रभारी को (एस. एच. ओ.) के लिए शिकायती पत्र	2
9.	पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान के पूर्व व पश्चात (पार्ट 1-4)।	1
10.	अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के के लिए प्रारूप।	10
11.	ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात् मत दिया/देने से इंकार कर दिया।	1
12.	घोषणा पत्र अंधे या शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा।	10
13.	मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेन्ट) के पास	10
14.	विज़िट शीट	1
15.	प्रपत्र पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र, 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट के लिए, जिसे रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन क्षेत्र प्रेक्षक को दिया जाना है।	1
16.	कार्ड बोर्ड (दिखावटी) बैलेट यूनिट	
17.	मतदान दल के सभी सदस्यों के I. D. कार्डस्	

23. **लिफाफे**

1.	पहला पैकेट छोटे लिफाफे के लिए (स्टेचुअरी कवर-SE-8)	1
2.	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा	1
3.	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा	1

4.	निविदत्त मतपत्रों की सूची के लिए लिफाफा	1
5.	पीठासीन अधिकारी की मतदान प्रारम्भ तथा मतदान समाप्ति पर घोषणाओं के लिये लिफाफा।	1
6.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा के लिए लिफाफा (प्ररूप 17ग) (SE-5)।	1
7.	प्ररूप 14 चेलेंज्ड मतों की सूची के लिए लिफाफा	1
8.	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा (SE-5)।	1
9.	प्ररूप 10 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा SE-6	1
10.	प्ररूप 14क अंधे व शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा SE-5	1
11.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट का लिफाफा SE-6	1
12.	प्ररूप 14ख निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए लिफाफा SE-5	1
13.	रसीद पुस्तक व कैश जब्ति के लिए लिफाफा SE-6	1
14.	तुलनात्मक घोषणापत्र के लिए लिफाफा SE-5	1
15.	दूसरे पैकेट छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (अन्य) (SE-7)	1
16.	मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों (प्ररूप 17क) (SE-8) का लिफाफा।	1
17.	अन्य जरूरी कागजातों के लिए लिफाफा (SE-5)	1
18.	तीसरा पैकेट छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (SE-8)	1
19.	पीठासीन अधिकारी के रिकार्ड हेतु लिफाफा (SE-6) नियम 40 (SE-06) के तहत।	1

20.	सादा लिफाफा (SE-7)-2 (SE-8)-3	1
21.	उपयोग में न लाये मतपत्र के लिये लिफाफा (SE-7)	1
22.	अन्य कागजों के लिए लिफाफा जिसे रिटर्निंग आफिसर ने रखने को कहा है।	1
23.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए लिफाफा (SE-7)-1।	1
24.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा (SE-7) (लिफाफे छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग व जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो साधा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करें।)	1
25.	मतदाता पर्ची का मोहरबन्द लिफाफा	1
26.	निर्वाचक से उसकी उम्र के बारे में अभिप्राप्त घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची (उपाबंध 11) से युक्त लिफाफा।	1
27.	अप्रयुक्त मतदाता सूचियों से युक्त लिफाफा	1
28.	पीठासीन ऑफिसरों के लिये पुस्तिका का लिफाफा	1
29.	ई. व्ही. एम. मशीन के लिये निर्देशिका का लिफाफा	1
30.	अमिट स्याही सेट का लिफाफा	1
31.	बेगनी रंग स्टाम्प पेड का लिफाफा	1
32.	पीठासीन ऑफिसर की धातु की मोहर के लिये लिफाफा	1

24. **साइन बोर्ड**

(1) पीठासीन अधिकारी

(2) मतदान अधिकारी

(3) प्रवेश

(4) निर्गमन

(5) मतदान अभिकर्ता

(6) क्षेत्र इत्यादी बताने के लिये विविध सूचना नियम 30 (1) (अ)

25. **लेखन सामग्री**

1.	सामान्य पेंसिल	1
2.	बाल पेन	2 नीले + 1 लाल
3.	कोरा कागज	8 पन्ने
4.	पिनें	25 नग
5.	मुहरबंद करने हेतु मोम/चपड़ी	6 नग
6.	मतदान प्रकोष्ठ की सामग्री	2+2=4
7.	गोंद / लेई	1 बोतल
8.	ब्लेड	1
9.	मोमबत्ती	4 स्टिक्स
10.	पतला टवाईन धागा	20 मीटर
11.	धातु की पट्टी	1
12.	कार्बन पेपर	3
13.	तेल पोछने के लिये कपड़ा	1
14.	पेकिंग पेपर	2 पन्ने
15.	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिये कप या खाली डिब्बा।	1
16.	ड्राइंग पिन	12 नग
17.	चेक लिस्ट	1
18.	रबर बेंड	10 नग
19.	सेलो टेप	1

ऐसी सामग्री की सूची जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट को व जिसे उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जायेगी।

1. एरो मार्क रबर स्टेम्प
2. पीठासीन अधिकारी की धातु की सील
3. लेखन सामग्री—
   (i) स्टेम्प पैड
   (ii) वोटिंग कम्पार्टमेन्ट बनाने की सामग्री
   (iii) लोहे का स्केल
   (iv) अमिट स्याही रखने के लिये डिब्बा
   (v) उपयोग में न ली गई सामग्री।

उपाबंध अनुमानित

उपाबंध 2

पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मैमो

मद सं. (1)	कार्य जो किया जाना है (2)	रिमार्क (3)
1.	रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत अनुदेशों को प्राप्त करना और कब्जे में रखना।	क्या प्राप्त कर रख ली है?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का सम्पर्क बनाए रखना।	क्या ऐसा कर लिया है?
3.	निर्वाचन सामग्री एकत्रित करना, ए. एस. डी. के मतदाताओं की सूची एवं वर्णक्रमानुसार मतदाताओं की सूची।	क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त निर्वाचन सामग्री जो प्राप्त की गई है पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में हैं?
4.	मतदान मशीन की मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियाँ, ऐरोक्रास मार्क, रबर स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाता रजिस्टर मतदाता पर्चियाँ, इत्यादि की जांच कर ली है।	क्या ऐसा कर लिया है?
5.	मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए प्रवेश एवं निकास अलग-अलग है।	क्या ऐसा सुनिश्चित कर लिया है?
6.	नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट कर प्रदर्शित करना तथा साथ में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित करना।	क्या सूची और नोटिस को प्रदर्शित कर दिया गया है?
7.	नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिटों को आपस में जोड़ना तथा बैटरी को चालू करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
8.	दिखावटी मतदान का संचालन करना।	क्या संचालन कर दिया है?
9.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग पर ग्रीन पेपर सील लगा दी है।	क्या ऐसा कर लिया है?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम को मुहरबन्द करना।	क्या ऐसा कर लिया है?

मद सं. (1)	कार्य जो किया जाना है (2)	रिमार्क (3)
11.	मतदान के प्रारंभ पर की गई घोषणा।	क्या ऐसी की गई है?
12.	मतदान के प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़ लिया है।	क्या ऐसा कर लिया है?
13.	मतदान अभिकर्ताओं को बैलट यूनिट और नियंत्रण यूनिट तथा ग्रीन पेपर सील की क्रम संख्यांक नोट करने के लिए अनुज्ञात करना।	क्या अनुज्ञात किया है?
14.	बांयी हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह लगाना और मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररुप 17क) पर हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप प्राप्त करना।	क्या ऐसा उचित रूप से कर लिया है?
15.	अवयस्क (Under aged) निर्वाचकों से घोषणा।	क्या प्राप्त कर ली है?
16.	पीठासीन अधिकारी की डायरी को समय-समय पर लिखना	क्या समय-समय पर जो कि और जब हों उत्पन्न हुई घटनाओं का अभिलेखन कर लिया है?
17.	आगंतुक पत्रक में प्रविष्टियाँ	क्या आवश्यक प्रविष्टियाँ की है?
18.	नियत समय पर मतदान समाप्त करना।	क्या ऐसा कर लिया है?
19.	प्ररुप 17ग में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा की प्रतियाँ उपस्थित अभिकर्ताओं को प्रदान करना	क्या समस्त अभिकर्ताओं को अनुप्रमाणित प्रतियाँ दे दी गई है?
20.	मतदान के बंद करने पर की गई घोषणा।	क्या ऐसी घोषणा की गई है?
21.	मतदान मशीन और निर्वाचन-पत्रों का मुहरबन्द करना।	क्या अनुदेशों के अनुसार ऐसा कर दिया है?

शाकेमुभो—138—मुनिप—23-5-13—65,000.